राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांकः– एस्टे/डीईएस/विविध/52/3076 दिनांकः– 11-10-2019

परिपत्र

विषय – कार्यालय में समय की पाबंदी एवं उपस्थिति सुनिश्चित करने के संबंध में।

राजकीय कार्यालयों में कार्यों को कुशलतापूर्वक एवं त्वरित निस्तारण हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों (प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र) के अनुसार कार्यालय में सहायक कर्मचारियों को प्रातः 9.00 बजे एवं अन्य कार्मिकों को प्रातः 9.30 बजे उपस्थित होना आवश्यक है।

इस संबंध में समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यालय में निर्धारित समय पर उपस्थित होवें एवं संबंधित आवंटित कार्यो का समय पर निष्पादन/सम्पादित करना सुनिश्चित करें। कोई भी अधिकारी/कर्मचारी नियमानुसार सक्षम स्तर से अवकाश स्वीकृति उपरान्त ही अवकाश पर रहेगे एवं आकस्मिक स्थिति में ही संबंधित प्रभारी अधिकारी को दूरभाष पर आवश्यक रूप से सूचित करेगे।

अतः उक्तानुसार समस्त शाखा प्रभारी/अधिकारी अपनी शाखा/कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों की नियमित रूप से प्रातः 9.30 बजे (अधिकतम प्रातः 9.40 तक) उपस्थिति सुनिश्चित करते हुये उक्त परिपत्रों में निर्दिष्ट दिशा–निर्देशों की पालना करावें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

(डॉ. ओमप्रकाश बैरवा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना एवं सांख्यिकी, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, मुख्यालय।
3. संयुक्त निदेशक (प्रशासन/एन.एस.एस./जनाधार/राज्य आय एवं वित्त/आर.वाई.वी.पी. एवं वाई.आई.पी./जीवनांक/समन्वय/आई.टी.) मुख्यालय।
4. उप निदेशक (एस.डी.जी./कृषि) मुख्यालय।
5. लेखाधिकारी, मुख्यालय।
6. नोडल अधिकारी (आई.टी.) मुख्यालय को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
7. समस्त उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जिला .... ।
8. समस्त ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी।
9. नोटिस बोर्ड/रक्षित पत्रावली।

(कुलदीप भटनागर)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु–4) विभाग

क्रमांक प.5(5)प्र.सु. / अनु–4 / 2006 जयपुर, दिनांकः - 3 OCT 2019

परिपत्र

विषयः सरकारी कार्यालयों में समय की पाबंदी एवं कार्य स्थलों पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के संबंध में।

प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–4) विभाग द्वारा निर्गत समसंख्यक परिपत्र क्रमशः दिनांक 05.12.2006 एवं 11.03.2015 के माध्यम से अधिकारियों / कर्मचारियों की राजकीय कार्यालयों में समय की पाबंदी की अनुपालना के संबंध में यह दिशा–निर्देश प्रसारित किये गये है कि नियत समायानुसार कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की उपस्थिति का समय प्रातः 09.00 बजे तथा अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति का समय 09.30 बजे (अधिकतम प्रातः 09.40 तक) है। उक्त नियत समय पर उपस्थित नहीं होने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका में उनके नाम के आगे क्रॉस (X) अंकित कर दिया जायेगा तथा विद्यमान सेवा नियमान्तर्गत आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

प्रायः यह ध्यान में लाया गया है कि शासन सचिवालय में अवस्थित विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण कार्यालय में विलम्ब से उपस्थित होने पर भी उपस्थिति पंजिका में अपनी उपस्थिति अंकित कर रहे हैं। अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कृत उक्त कृत्य विद्यमान सेवा नियमान्तर्गत एवं सुसंगत दिशा–निर्देशानुसार घोर अनुशासनहीनता का द्योतक है।

अतः समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव से निवेदन किया जाता है कि वे उक्त परिपत्रों में निर्दिष्ट दिशा–निर्देशों की कठोरता से अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें।

(डॉ. आर. वेंकटेश्वरन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान।
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचित / शासन सचिव।
3. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

VISHNU/AR/2019

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु–4) विभाग

क्रमांक प.5(5)प्र.सु./अनु–4/2006

जयपुर, दिनांकः 27 SEP 2019

परिपत्र

विषयः सरकारी कार्यालयों में समय की पाबंदी एवं कार्य स्थलों पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के संबंध में।

राजकीय कार्यालयों में अनुशासन एवं काम–काज के स्तर में सुधार लाने के लिए निरीक्षण व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुदृढ़ बनाने हेतु प्रशासनिक सुधार (अनु–4) विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 20.08.2010 (www.ard.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध) निर्गत किया गया है। जिसमें जिला कलक्टर को उनके प्रभाराधीन जिले में स्थित सभी राजकीय निगम, बोर्ड, स्वायत्तशाषी संस्थाएँ, चिकित्सालयों, स्कूलों, जलदाय विभाग, विधुत वितरण कम्पनियों के कार्यालयों एवं जिले में चल रहे विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों एवं नरेगा, आई.सी.डी.एस. आदि योजनाओं में कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति की आकस्मिक जांच तथा कार्य करने की गुणवत्ता परखने एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए अधिकृत किया गया है। साथ ही यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि सभी जिला कलक्टर उक्त कार्य हेतु एक निरीक्षण दल का गठन करेंगे।

प्रायः यह ध्यान में आया है कि प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–4) विभाग द्वारा प्रसारित उक्त दिशा–निर्देशों की पूर्णतः पालना नहीं की जा रही है। साथ ही जिलान्तर्गत किये जाने वाले निरीक्षणों (मासिक) की पाक्षिक रिपोर्ट भी नियमित रूप से नहीं भिजवाई जाती है।

अतः समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर/विभागाध्यक्षों को पुनः व्यादिष्ट किया जाता है कि वे उक्त परिपत्र की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करते हुए, जिला स्तर पर, निरीक्षण दल द्वारा मासिक रूप से किये जाने वाले निरीक्षणों की पाक्षिक (प्रत्येक 15 दिवस में) रिपोर्ट, इस विभाग को भौतिक रूप से व ई–मेल areformsgr4@gmail.com पर अवश्यमेव भिजवायेंगे।

(डॉ. आर. वेंकटेश्वरन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान।
2. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।
4. रक्षित पत्रावली।

प्रमुख शासन सचिव

VISHNU/AR/2019

Scanned with CamScanner